

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :— राजपत्रित / सामान्य / प-121/2014/३४

दिनांक : २३/०१/२०१४

-: आदेश :-

निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 23.01.2014 से 21.02.2014 तक VI<sup>th</sup> Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1	डा० गणेश लाल जाट	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र मजेरा, ब्लॉक-केलवाडा, राजसमन्द
2	डा० शैलेन्द्र सिंह	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र कुआथल, ब्लॉक-देंगढ़, राजसमन्द
3	डा० नरेन्द्र कुमार शर्मा	चिं030	सामु०स्वा०केन्द्र बड़ागाँव, ब्लॉक-महुआ, दौसा
4	डा० सीताराम यादव	चिं030	सामु०स्वा०केन्द्र बान्दनवाडा, अजमेर
5	डा० नरेन्द्र चौधरी	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र बलुन्दा, ब्लॉक-जतवाडा, पाली
6	डा० दीनदयाल पारीक	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र पुलासर, ब्लॉक-सरदारशहर, जिला-चुरू
7	डा० इकबाल खान	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र जैतसर, ब्लॉक-सरदारशहर, चुरू
8	डा० गौरव अरौड़ा	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र लासानी, ब्लॉक-दियोगढ़, राजसमन्द
9	डा० दीपक तिवाड़ी	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र ओड़ा, ब्लॉक-केलवाडा, राजसमन्द
10	डा० कुशांक शर्मा	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र अहिरान, ब्लॉक-रेलमगरा, राजसमन्द
11	डा० हनुमान गर्ग	चिं030	बन्दा कॉलोनी, ब्लॉक-अनुपगढ़, श्रीगंगानगर
12	डा० सुनीता वर्मा	चिं030	सामु०स्वा०केन्द्र नारायणपुर, अलवर
13	डा० जितेन्द्र कुमार सैन	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र तिजसर, सीकर
14	डा० सुरेश कुमार शर्मा	चिं030	सामु०स्वा०केन्द्र श्रीनगर, अजमेर
15	डा० नेमीचन्द्र खाण्डव	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र डनवाडा, ब्लॉक-बावारी, जोधपुर
16	डा० हीरालाल केलारिया	चिं030	राजकीय सैटेलाईट हॉस्पिटल, डिगारी, जोधपुर
17	डा० भगवाना राम	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र जसवन्तपुरा, जालोर
18	डा० शिव चरण बैरवा	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र बगाना, अलवर
19	डा० संदीप शर्मा	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र ढाणा, पाली
20	डा० अंकुर जोशी	चिं030	प्रा०स्वा०केन्द्र आभानेरी, दौसा
21	डा० ओम गासी	चिं030	सामु०स्वा०केन्द्र जिनजियाली, जैसलमेर
22	डा० छगन लाल गाँची	चिं030	सामु०स्वा०केन्द्र जसवन्तपुरा, जालोर

P.T.O.

23	डा० चन्दन सिंह	चि०आ०	प्रा०स्वा०केन्द्र देवरवा, राजगढ़, चुरु
24	डा० अजमद अली	चि०आ०	सामु०स्वा०केन्द्र पीपलू टोक
25	डा० हरिशं डागोर	चि०आ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मसवा, ब्लॉक-टोडाभीम, करौली
26	डा० सुरेश चन्द सैनी	चि०आ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सोप, करौली
27	डा० महावीर टांक	चि०आ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सुतपा, भीलवाड़ा

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 17.02.13 को सांयकाल निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.६(६)ट्रेनिंग(पीएल-२)/आर.एच.एस.डी.पी./०७/४४०५ दिनांक १४.०६.०७ के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रवायं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठीन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वायं की कार इत्यादि

का यांत्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं रवास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :— राजपत्रित/सामान्य/प-१२१/२०१४/३८

दिनांक : २०/०१/२०१६

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक (RCH), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक ८६९७ दिनांक १३.०१.२०१४ के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजावें, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन—जयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 22.01.2014 को सांय प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होन हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्ती आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डिलावाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।